

नगर विकास न्यास, कोटा

संस्था से सम्बंधित सेवाओं के बारे में आमजन की सुविधा हेतु FAQ एवं उत्तर

#	FAQ	उत्तर
1	आधिपत्य/कब्जा पत्र जारी करना	नागरिक सेवा केंद्र से फॉर्म न० 4 प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज (रजिस्ट्री की प्रतिलिपि) संलग्न कर आवेदन नागरिक सेवा केंद्र में कार्यालय दिवस में प्रस्तुत करें
2	लीज़ डीड/पट्टा जारी करना(नगरीय निकाय के सक्षमता स्तर पर)	नागरिक सेवा केंद्र से फॉर्म न० 2 प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज (रजिस्ट्री पत्र, चालान प्रति, पासपोर्ट साइज़ 3 फोटो) संलग्न कर आवेदन कार्यालय दिवस में नागरिक सेवा केंद्र में प्रस्तुत करें
3	लीज़ मुक्ति प्रमाण पत्र	आवेदक स्वयं की SSO ID (आधार न० से) बनाकर UDH Online Services में Property ID Create करवाकर पुनः लीज़ मुक्ति प्रमाण पत्र हेतु Apply कर सकता है
4	नामों का हस्तांतरण	आवेदक स्वयं की SSO ID (आधार न० से) बनाकर UDH Online Services में Property ID Create करवाकर पुनः नाम हस्तांतरण हेतु Apply कर सकता है
5	दस्तावेजों/मानचित्रों की प्रतियां प्राप्त करना	नागरिक सेवा केंद्र से फॉर्म न० 12 प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज (शपथ पत्र एवं नकल फॉर्म) संलग्न कर आवेदन कार्यालय दिवस में नागरिक सेवा केंद्र में प्रस्तुत करें
6	अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC	केवल खाली भूखंडों पर दी जा रही है। नागरिक सेवा केंद्र से फॉर्म न० 12 प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज (बैंक का पत्र) संलग्न कर आवेदन कार्यालय दिवस में नागरिक सेवा केंद्र में प्रस्तुत करें
7	विक्रय अनुमति	नागरिक सेवा केंद्र से फॉर्म न० 8 प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज (रजिस्ट्री की प्रति एवं नगरीय कर जमा की प्रति) संलग्न कर आवेदन नागरिक सेवा केंद्र में कार्यालय दिवस में प्रस्तुत करें
8	रोड कटिंग अनुमति	न्यास में उपस्थित होकर सम्बंधित खण्ड आवेदन देकर प्राप्त की जा सकती है
9	अतिक्रमण हटाना	न्यास की अतिक्रमण शाखा में अतिक्रमण हटाने हेतु आवेदन किया जा सकता है साथ ही इसके लिए Helpline No. 07442500425 पर भी आपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है

